भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2294

उत्तर दिनांक 12/03/2025 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2294. श्री राजीव प्रताप रूडी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और इस क्षेत्र में निजी निवेशकों को अनुमति देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी चिंताओं, विनियामक ढांचे, प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और सार्वजनिक आशंकाओं जैसी संभावित चुनौतियों का आकलन किया है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा और अप्रसार संबंधी मानकों को सुनिश्चित करते हुए इन चुनौतियों के समाधान हेतु तैयार किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निजी निवेशकों को शामिल करने से भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता और इसके दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) सरकार ने देश के ऊर्जा संक्रमण प्रयासों के मद्देनजर नाभिकीय ऊर्जा मिशन शुरू करने के लिए नीति निर्देश निर्धारित किए हैं। यह मिशन नए रिएक्टरों के डिजाइन और प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के साथ-साथ मौजूदा/स्थापित प्रौद्योगिकी/डिजाइन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित रहेगा। इसके लिए विनिर्माण उद्योगों सहित निजी निवेशकों और निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता होगी। तेजी से विस्तार के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी करने के लिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जा रहे हैं।

(ख) व (ग) परमाणु ऊर्जा अधिनियम में अपेक्षित संशोधनों पर विचार करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) में एक कार्यदल का गठन किया गया है। इस कार्यदल में डीएई, एईआरबी, एनपीसीआईएल, नीति आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय और विदेश मंत्रालय

के सदस्य हैं। कार्य दल विभिन्न पहलुओं जैसे निजी क्षेत्र द्वारा एनपीपी का निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, नाभिकीय संरक्षा, संरक्षोपायों, सुरक्षा, ईंधन प्रापण/विनिर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन, भुक्तशेष ईंधन का पुनर्संसाधन आदि पर विचार कर रहा है। इसके अलावा, एक पृथक कार्यदल निजी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जताई गई चिंताओं को दूर करने के लिए नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम (सीएलएनडी अधिनियम) पर भी विचार कर रहा है।

(घ) वित्त वर्ष 2024-25 में, बजट घोषणा के भाग के रूप में, भारत लघु रिएक्टर (बीएसआर) की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी हेतु नीति निर्देश निर्धारित किए गए हैं, और उसी के अनुसरण में, एनपीसीआईएल ने बिजली उत्पादन के लिए स्वोत्पाद (कैप्टिव) संयंत्र के रूप में 220 मेगावाट-पीएचडब्ल्यूआर पर आधारित छोटे आकार के एनपीपी के वित्तपोषण और निर्माण के लिए निजी उद्योगों को अनुरोध प्रस्ताव जारी किया है। बीएसआर को एनपीसीआईएल द्वारा कमीशनन और प्रचालित करने और निजी निवेश से स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे मुख्यतः उद्योगों की विस्तृत श्रृंखला - खनिज एवं धातु, पैट्रोकैमिकल इत्यादि को लक्षित करना है जिससे उद्योग क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने में सहायता होगी। इसके अलावा, निजी निवेश को शामिल करने से यह आशा की जाती है कि देश में नाभिकीय क्षेत्र के तेजी से विस्तार के लिए योजना/मानचित्रण को रणनीति स्तर पर विकसित किया जाएगा, जिससे उद्योग (सार्वजनिक और निजी) को नाभिकीय संबंधित परियोजनाओं के लिए क्षमता/बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजना बनाने और भागीदारी करने के लिए एक मजबूत नीतिगत संकेत मिलेगा और उन्हें व्यवसाय की निरंतरता का आश्वासन मिलेगा, जिससे वे दीर्घकाल तक निवेश कर सकते हैं। इससे नाभिकीय क्षेत्र में ज्ञात निवेश का निर्णय लेने में 'निवेशक' का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और यहां तक कि जीवाश्म क्षेत्र के व्यवसायों को न केवल वित्तीय निवेश बल्कि जीवाश्म क्षेत्र की अनुभवी जनशक्ति को पुनः प्रशिक्षित और पुनःउपयोग करने के मामले में भी नाभिकीय व्यवसाय में निवेश करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को जलवायु वित्त के लिए पात्र बनाना इस मिशन में प्रगति करने के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा।

*****